

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ  
(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या : लाजि०-एम०टी०-20/2024 (आ०चा० चयन) दिनांक: अप्रैल 16, 2024  
सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी चालक के चयन वर्ष-2024 (दिनांक 01-07-2024 से दिनांक 30-06-2025) के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जानी है।

2- उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5(क) में निहित व्यवस्था के अनुसार आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी०ए०सी० से भरे जायेंगे जो निम्न पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों :-

- (1) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।
- (2) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे या सहायता के आंखों की दृष्टि 6/6 हो।
- (3) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।
- (4) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।
- (5) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।
- (6) विगत पाँच वर्षों की अवधि में:-  
(एक) सत्यनिष्ठा रोक़ी न गयी हो, या  
(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या  
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।
- (7) विगत तीन वर्षों की अवधि में:-  
(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या  
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या  
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों।

3- नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय:-

1. नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (मुख्यतः दृष्टि परीक्षा) नामांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात् दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न किया जाय)

2. वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. इस निर्देश का जनपदों/पीएसी वाहिनी तथा इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।
4. चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई है।
5. आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
6. नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएं सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नहीं है। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथि का मिलान इनके अभिलेखों से अवश्य करा लिया जाय।
7. पूर्व चयन वर्ष में प्राप्त नामांकन के परीक्षण से पाया गया था कि अधिकांश वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन भेजे गये थे, जिनके पास मात्र हल्के वाहन चलाने के लाइसेन्स थे, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि नामित किये जाने वाले कर्मियों के पास हैवी एवं हल्के दोनों वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। कुछ वाहिनियों द्वारा ऐसे कर्मियों के नामांकन उपलब्ध करा दिये गये थे जिनके हैवी लाइसेन्स की वैधता समाप्त हो गयी थी। नामांकन भेजने के पूर्व जनपद/वाहिनी स्तर पर नामित किये जाने वाले कर्मियों के आयु, सेवा, चिकित्सा, दण्ड एवं लाइसेन्स की वैधता का परीक्षण कराकर पात्र कर्मियों के नामांकन ही मुख्यालय पर भेजे जायें।
8. प्रत्येक कर्मियों का नामांकन अलग-अलग पृष्ठ में उपलब्ध कराया जाय, जिसमें सम्बन्धित सहायक, प्रधान लिपिक, एवं राजपत्रित अधिकारीगण के हस्ताक्षर मुहर सहित अंकित किये जाए।
9. निर्धारित प्रारूप एवं निर्देश इस कार्यालय के बेवसाईट [up police-police units-Logistics-circular-For latest circular Click here-Go to circular Archive](#) पर प्रकाशित किया गया है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 का नामांकन हिन्दी के KRUTI DEV10 FONT SIZE-10 में संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित पठनीय छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 30-04-2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।  
संलग्नक:प्रारूप

  
(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।



**आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु पात्रता सूची का प्राकृत (चयन वर्ष-2024)**

दिनांक 01-07-2024 को आयु (चयन वर्ष-2024 के सापेक्ष)	वर्ष	माह	दिन	वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्मतिथि	वर्ष	माह	दिन	दृष्टि परीक्षण का परिणाम लाइट है/ही एव लाइट कीकल के लाइसेंस धारक का स्वयं होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)	सत्यानिष्ठा रोकी गई हो तो उसका विवरण	दीर्घ दण्ड	लघु दण्ड	छुट दण्ड	प्रतिकूल प्रतिष्ठित	वर्तमान निलम्बन की वर्तमान स्थिति श्री/श्री/श्री के दिनांक तक)	लम्बित अपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है)	विभागीय कार्यवाही नियम 14(1) के अन्तर्गत	कार्य के विरुद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही /आरोप पत्र/परिवाद होने/आरोप पत्र/परिवाद आदि के संदर्भ में माओ न्यायालय/अधिकरण के आदेश (स्थान/विवरण आदेश की पंजीय प्रति सहित)	संस्तुति	अभ्युक्ति(अनुपयुक्त/स्थागत/चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखे जाने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)																										
																					दौरा दण्ड	लघु दण्ड	छुट दण्ड	प्रतिकूल प्रतिष्ठित	वर्तमान निलम्बन की वर्तमान स्थिति श्री/श्री/श्री के दिनांक तक)	लम्बित अपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है)	विभागीय कार्यवाही नियम 14(1) के अन्तर्गत	कार्य के विरुद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/आरोप पत्र/परिवाद होने/आरोप पत्र/परिवाद आदि के संदर्भ में माओ न्यायालय/अधिकरण के आदेश (स्थान/विवरण आदेश की पंजीय प्रति सहित)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
कम सं०	पात्रता सूची का क्रमांक	पी०एन०ओ० नं०	कर्मों का नाम	पिता का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्मतिथि	वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह	दिन	दृष्टि परीक्षण का परिणाम लाइट है/ही एव लाइट कीकल के लाइसेंस धारक का स्वयं होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)	सत्यानिष्ठा रोकी गई हो तो उसका विवरण	दीर्घ दण्ड	लघु दण्ड	छुट दण्ड	प्रतिकूल प्रतिष्ठित	वर्तमान निलम्बन की वर्तमान स्थिति श्री/श्री/श्री के दिनांक तक)	लम्बित अपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है)	विभागीय कार्यवाही नियम 14(1) के अन्तर्गत	कार्य के विरुद्ध दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/आरोप पत्र/परिवाद होने/आरोप पत्र/परिवाद आदि के संदर्भ में माओ न्यायालय/अधिकरण के आदेश (स्थान/विवरण आदेश की पंजीय प्रति सहित)	संस्तुति	अभ्युक्ति(अनुपयुक्त/स्थागत/चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखे जाने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)																					
														हो/नहीं	यदि हो तो उसका विवरण दीर्घ दण्ड की संख्या/वर्ष	दीर्घ दण्ड का दिनांक	संयुक्त की तिथि	दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत करना, सेवा से हटाना तथा पवित्रच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समयवेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति	लघु दण्ड की संख्या/वर्ष	लघु दण्ड का दिनांक	संयुक्त की तिथि	दण्ड की प्रकृति परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्धदण्ड/अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी गई है।	छुट दण्ड की संख्या/वर्ष	छुट दण्ड का दिनांक	संयुक्त की तिथि	दण्ड की प्रकृति	हो/नहीं	यदि हो तो उसका विवरण	निलम्बन आदेश संख्या/दि०	निलम्बन का कारण(अधिकतम 20 शब्दों में)	बहाली आदेश संख्या, दिनांक	अपराध सं०/धारा/थाना/जनपद	आरोप पत्र संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने का दिनांक	अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक	जॉच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में)	कार्य को आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक	आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक							

1-प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जाती है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से सूच्य अंकित किया जाये।

2-जब सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Kruti Dev Fonts में ही तैयार की जाये।

3-एक लाइन में एक ही अक्षरों की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।

4-एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

5-अपूर्ण पत्र पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6-बोर्ड पत्र पर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर बोर्ड पत्र स्वीकार नहीं होगा।

7-संलग्नक की वैकल्पिक-  
नोट-निर्नामित पत्रों की पंजीय छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी जाये।

1-अभियोग पंजीकृत होने की दशा में कर्मों के विरुद्ध आरोप पत्र माओ-न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफओआईआरओ की प्रति व आरोप पत्र की प्रति(आरोप पत्र में अंकित अभियुक्तनाम/कर्मों के नाम/पी०एन०ओ०नम्बर/तैनाती सहित) मु०अ०सं०, धारा, थाना व जनपद, आरोप पत्र संख्या व दिनांक तथा वाद की स्थिति का उल्लेख कालम संख्या-38, 39 व 40 में किया जाये।

2-विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र निर्गत करने की तिथि सहित आरोप पत्र की प्रति।

3-दण्डदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति, यदि कोई हो।

4-बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।

5-कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा स्थान/दण्डदेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पंजीय छायाप्रति।

6-विभागीय अखि के अन्तर्गत ही कर्मों को प्रदत्त दण्डदेशों का उल्लेख किया जाये। विभागीय अखि के पूर्व व विभागीय अखि के बाद कर्मों को प्रदत्त दण्डदेशों का उल्लेख न किया जाये।

7-विभागीय प्रान्ति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड पत्र में अंकित किया जाये। यदि वरिष्ठ पत्रिका/बोर्ड पत्र 3000 पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक 3000 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

8-प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी तथा-असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या-33 व 34 में किया जाये।

9-यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरुद्ध प्रेषित प्रस्तावदन का निरस्त/स्वयं अधिकारी के द्वारा निष्प्रेषित समयावधि में नहीं किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नहीं माना जायेगा।

10-यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यानिष्ठा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है बल्कि प्रवर्तित जाय के चलते प्रविष्टि अधिस्थित (DEFER) की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यानिष्ठा प्रमाणित नहीं जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक को प्रान्ति की संस्तुति सहित स्वयं अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के अर्धीन होगी।

11-यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय धयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाण का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

वरिष्ठ पत्रिका लिपिक के हस्ताक्षर  
नाम,पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर  
नाम,पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के हस्ताक्षर  
नाम,पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी  
नाम,पद, मुहर